लद्दाख: कारगिल हिल काउंसिल भंग, 21 नवंबर को पंचायत चुनाव

प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026

स्रोत-रिपोर्ट: 21 अक्टूबर 2026 (द हिंदू); समाचार-संदर्भ: प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को परिषद भंग की और चुनाव घोषित किए। आगामी मतदान: 21 नवंबर 2026।

10 नवंबर 2026 का अपडेट: हिल परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को

लद्दाख प्रशासन के 10 नवंबर 2026 के आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार सभी आठ लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषदों (LAHDC) की कुल 100 सीटों पर मतदान 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। 100 में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायत तथा लेह और कारगिल नगर परिषदों के चुनाव अलग हैं; उनका मतदान 21 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

हिल परिषद चुनाव की प्रमुख तिथियाँ:

- नामांकन की अंतिम तिथि: 17 नवंबर 2026।
- नामांकन की जाँच: 18 नवंबर 2026।
- उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 20 नवंबर 2026।
- मतदान: 4 दिसंबर 2026।
- पूरी चुनाव-प्रक्रिया: 8 दिसंबर से पहले पूर्ण करने का कार्यक्रम।

मुख्य सचिव के अनुसार नई परिषदें वर्तमान कानून में निहित अपनी शक्तियाँ बनाए रखेंगी और जिला पंचायत की परिकल्पित शक्तियाँ भी प्रयोग करेंगी। इस प्रशासनिक वक्तव्य को परिषदों को संविधान की छठी अनुसूची का दर्जा मिल जाने की घोषणा न मानें।

स्रोत: लद्दाख प्रशासन, 10 नवंबर 2026

परिचय

लद्दाख प्रशासन ने बुधवार (21 अक्टूबर 2026) को **लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद (LAHDC)-कारगिल** को भंग कर दिया और 21 नवंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा की (द हिंदू)। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन 2 नवंबर तक होंगे और आदर्श आचार संहिता तत्काल लागू हो गई है।

प्रमुख तथ्य (रिपोर्ट के अनुसार)

- प्रशासन ने आठ जिलों के लिए 100 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए: लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9 और द्रास 7। पहले लद्दाख में केवल लेह और कारगिल की दो हिल परिषदें थीं; अब छह नए जिले बनाए गए हैं।
- उपराज्यपाल के अनुसार LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 के तहत पार्षदों की संख्या मौजूदा 52 से बढ़कर 100 हो जाएगी।
- कारगिल परिषद का चुनाव 2023 में हुआ था और उसका कार्यकाल 2028 तक चलता। लद्दाख में पिछले पंचायत और नगर निकाय चुनाव 2018 में हुए थे, जब यह जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था।
- **पृष्ठभूमि:** लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद अधिनियम, 1997 (तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य) को 8 अक्टूबर 1997 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली और इसे 1 जून 1995 से लागू माना गया (India Code)।
- लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँग पर केंद्र की लद्दाख के प्रतिनिधियों से वार्ता जारी है (द हिंदू)।

परीक्षा-उपयोगिता

स्थानीय स्वशासन, पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची बनाम हिल परिषदें।

प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. लद्दाख में पंचायत हल्का चुनावों का मतदान किस तारीख को प्रस्तावित है?

(a) 21 नवंबर 2026

(b) 31 अक्टूबर 2026

(c) 15 दिसंबर 2026

(d) 5 नवंबर 2026

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a) 21 नवंबर 2026। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर 2026 को मतदान प्रस्तावित किया है।

प्रश्न 2. लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद अधिनियम किस वर्ष का है?

(a) 1992

(b) 1995

(c) 1997

(d) 2003

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (c) 1997। अधिनियम 1997 का है; राज्यपाल की स्वीकृति 8 अक्टूबर 1997 को मिली।

प्रश्न 3. प्रशासन द्वारा अधिसूचित 8 जिलों के निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है?

(a) 52

(b) 80

(c) 100

(d) 120

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (c) 100। रिपोर्ट के अनुसार 100 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए गए, जबकि पहले 52 पार्षद थे।

प्रश्न 4. लद्दाख प्रशासन के 10 नवंबर 2026 के वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. सभी आठ LAHDC की कुल 100 सीटों के लिए मतदान 4 दिसंबर को निर्धारित है।

II. LAHDC की 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

III. पंचायत और दोनों नगर परिषदों का मतदान भी 4 दिसंबर को निर्धारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) I, II और III

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a)। I और II सही हैं। III गलत है: पंचायत और लेह-कारगिल नगर परिषदों का मतदान 21 नवंबर, जबकि हिल परिषदों का मतदान 4 दिसंबर है।

स्रोत

- द हिंदू (21 अक्टूबर 2026): https://www.thehindu.com/news/national/ladakh/ladakh-administration-dissolves-hill-council-in-kargil-announces-panchayat-elections-on-november-21/article71608564.ece
- न्यूज़ ऑन एयर (22 अक्टूबर 2026): https://newsonair.gov.in/ladakh-state-election-commission-announces-panchayat-elections-polling-scheduled-for-november-21/
- India Code: लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद अधिनियम, 1997: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4912/1/ladakh_autonomous_hill_development_council_act%2C_1997.pdf

इस लेख को डाउनलोड करें: PDF